

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/उत्पा./ल.व.उ./2005/1789

भोपाल, दिनांक 25/05/2005

प्रति

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय), म.प्र.

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय), म.प्र.

विषय :- फड़ से गोदाम तक तेन्दुपत्ता के परिवहन बावत परिवहन अनुज्ञा-पत्र।

संदर्भ :- इस कार्या. का पत्र क्र./उ/ल.व.उ./ 1980 भोपाल, दिनांक 17/05/2004

-----0-----

उपरोक्त विषय में विदित है कि शासन द्वारा तेन्दुपत्ता नीति में परिवर्तन कर विभिन्न क्षेत्रों के तेन्दुपत्ता लाटों का अग्रिम निर्वर्तन किया गया है। उक्त नीति के क्रियान्वयन से विभिन्न लाटों के पत्तों की संग्रहण एवं परिवहन की तीन स्थितियां निर्मित हो गई हैं :-

अ. विक्रित लाटों जिसमें क्रेता द्वारा स्वयं के प्रबंधन में गोदामों में भण्डारण किया जाना है।

ब. विक्रित लाटों जिसमें पत्ता दोहरे ताले के गोदाम में भण्डारित किया जाना है। तदुपरांत गोदाम से क्रेता द्वारा परिदान प्राप्त किया जाना है।

स. अविक्रित लाट जहां संपूर्ण कार्य समिति के माध्यम से किया जाना है।

इन तीन प्रकार के क्षेत्रों में संग्रहण केन्द्र से पत्ते का भण्डारण स्थल तक परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु निम्न व्यवस्था अपनाई जाए :-

1. जिन अग्रिम निर्वर्तित लाटों में परिदान संग्रहण केन्द्रों पर क्रेता द्वारा लिया जाकर पत्तों का परिवहन क्रेता द्वारा अपने निजी गोदामों में किया जाता है। उन लाटों के पत्तों का परिवहन अनुज्ञा पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत वनाधिकारी द्वारा ही जारी किये जावे।

2. अग्रिम निर्वर्तित लाटों में जहां क्रेता द्वारा पत्ता दोहरे ताले के गोदाम में रखा जाता है, उन लाटों फड़ों से गोदाम तक पत्ता परिवहन करने हेतु सहायक परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में क्रेता के निवेदन पर क्रेता/क्रेता के अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है।

3. अविक्रित लाटों में संग्रहण केन्द्रों से गोदाम तक पत्ता परिवहन करने के संबंध में परिवहन अनुज्ञा पत्र केवल उन वन मंडलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत वनाधिकारी द्वारा ही जारी किया जाए।

क्रेता द्वारा राशि के भुगतान एवं गोदाम से क्रेता को परिदान उपरांत गोदामों में भण्डारित तेन्दुपत्ते का अन्य गंतव्य स्थल तक परिवहन हेतु परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र पूर्व व्यवस्था अनुसार ही जारी किया जाये।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/उत्पा./ल.व.उ./2005/1790

भोपाल, दिनांक 25/05/2005

प्रतिलिपि :-

प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल की ओर उनके टीप क्र./6536 दिनांक 24.05.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल